

क्र.सं.	दिनांक आहा या कार्यवाही	विवरण
	20/12/25	पत्रावली पेश की गई। सं. 10310 सहित अन्य सं. ... पत्रावली ... दिनांक 10/12/25 को पेश है।
	10/12/25	पत्रावली पेश की गई। साहब ... पत्रावली ... दिनांक 7/12/25 को पेश है।
	21/12/25	पत्रावली पेश की गई। ... दिनांक 14/12/25 को पेश है।
	14/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जवाब पेश करने व शेज अप्रार्थी सं. सं. 3 व 4 की तलवी डाक रजिस्टर्ड तलवाना आण ही पेश करने व आगामी पेशी पर ड्रेक रिपोर्ट, रजिस्ट्री कि रिपोर्ट पेश करने हेतु न्यायवृत्त में अनधिक अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 28/12/25 को पेश है।
	28/12/25	<p style="text-align: center;">(उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं। प्रतिकारी अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की तलवी रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलवाना पेश करने हेतु दिनांक 14/12/25 को अनधिक अवसर दिया गया तथा आगामी पेशी पर रजिस्ट्री रिपोर्ट व ड्रेक रिपोर्ट पेश करने हेतु अनधिक अवसर दिये जाने पर प्रार्थी ने तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी को पेश सुनी गई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी के समक्ष अनधिक अवसर को दोहराया गया। पत्रावली व राजस्व निकाद व रसीद न्यायवृत्त - लगातार</p>

दियालय
क्रमा
दिनांक आ
कार्यवा

फरद अहकाम

लखनऊ १५/०२/२०१८
 वकील नारायण १ अन्य बनाम रामफूल व अन्य
 ३५० II सांगानेर
 १५/२०१८

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>द्वारा जारी अर्चाई निपेक्षाया दि० १६/५/२०१३ का आभोगन्त अपणोक्त काले व वकील अर्चाई की कक्षा का मनन करने पर एम एस मिष्कर पर पहुँचे हैं कि वादग्रस्त आराजी ख० न० ५३१/२ रकवा ०.३१ है व ख० न० ६७८/२ रकवा ०.०८ है कुल कित-२ कुल रकवा ०.५६ है ताके ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि सहित खंय की अन्य सम्पूर्ण भूमि को जलिये इफ्तारनामा दिनांक फरवरी १९८१, संशोधित इफ्तारनामा २७ सितम्बर २००१ के स्वतंत्रानुवाह्य, मंगला, पाँचू, मधुदेव, वाबुल्लाह नेटवर्क गृह निर्माण सहाय्य समिति लि० को अर्धी आवासीय थोपना हेतु विक्रय कर दी। अप्रार्थिगण व अप्रार्थिगण के पिता द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि खंय के दिसा १/६ को उक्त समिति को विक्रय नहीं किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिगण का कोई हक व दिसा नहीं है अपितु अप्रार्थिगण का राजस्व रिकार्ड में वह स्थित (खलिदार इन्डाज है) तथा कद्दू, पाँचू, मधुदेव, वाबुल्लाह, मंगलराम पुजान भौरील्लाह मिवाली खोखावास तहसील सांगानेर की आराजी ख० न० ३९१, ३९२, ३९३, ५००, ५०१, ५०२, २२९, ३२९, ५०६, ५५५, ५०९, ५०८ कुल २६ कील्लो स्थित ग्राह खोखावास में से १५ कील्लो भूमि का उक्त स्वतंत्राने अप्रार्थि सं. ३ को विक्रय कर दी जिस पर अप्रार्थि संख्या-३ ने आवासीय थोपना रघुनाथपुरी द्वितीय विस्तार कर्षि हुयी है। उक्त आवासीय थोपना के भूखण्ड संख्या-९३ का योजनाफाईड परचेजर है जिस पर उक्त आवासीय थोपना का विषय है। जोन अपायुक्त न. ९ जे.डी.ए. द्वारा भौका स्थिति का निरीक्षण का आणख० न० ५३१, ५५५, ६७८ रकवा ०.५५ है। भूमि अप्रार्थिगण के स्वामित्व व कब्जे की होना अपनी रिपोर्ट व निर्णय में स्वीकार किया। प्रार्थिगण की प्रार्थिगण की समस्त भूमि जे.डी.ए. द्वारा रिज्यूम की जाकर प्रार्थिगण के स्वतंत्राने अधिकार समाप्त किये जा चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थिगण ना तो स्वतंत्राने - लगाता</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्क आहकाम

बड़ी नारायण व अन्य बनाम रामपूक व अन्य

नाम न्यायालय

300 II सांगानेर

केस संख्या

94/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	सं. प्रत्येक आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>हैं एवं ना ही का बिज का इत है प्राचीन का प्राचीन पत्र जो फनीय नही है अतः प्राची का प्राचीन पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा को एारिज किया जाता है तथा इकी न्यायालय द्वारा जारी अर्थात् निषेधाज्ञा दि. 01/04/2013 को अपास्त किया जाता है पञ्जाब नम्बर से कक धो पा काड तकभीक दालिक दस्त वो (सुनाम)</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

- प्रार्थन
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
 - 13.
 - 14.
 - 15.